

## सर्वोच्च

### सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

सम्बद्धता दिनांक- 30/08/2022

#### सर्वोच्च तथ्य

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विपरीत राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यवाही से सम्बद्धता समिति की बैठक संकल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं की सम्बद्धता एवं संयोजित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/वाह्यकरण/परीक्षा शुल्क नृदि सहित अन्य स्वीकार विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक सचिव परिषद के अनुक्रम में विना संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित ताली के अधीन वाह्यकरण एवं इसकी अर्जित परीक्षा शुल्क हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का शीट एवं नाम : 4435-BANARAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING			
क्र.सं.	वाह्यकरण का नाम	राजकीय/नौकरवाही/प्री/प्री/आई/ए द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा शुल्क	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा शुल्क
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था राजकीय/नौकरवाही/प्री/प्री/आई/ए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद वरत-1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली-1962, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत सामनदोषी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्टैग्रेटेड वाह्यकरण हेतु रु०-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही वाह्यकरण हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय वाह्यकरण (दो वर्षीय कार्यवाही वाह्यकरण के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वाह्यकरण से प्राप्त किया

जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यवाही से भुक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तु द्वारा निरीक्षण किये जाने वाले वास्तुनिर्देश पत्रादि होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होता। सैन्य निर्माण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों की ही व्यवस्था किया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश संचालक के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता भुक्त उम्मा कराया होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश विधिमित्री/अधिमित्री/पररक्षक/डी.ए.ओ. एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० द्वारा कताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त आवश्यकित्व संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दयाया किया जाता है तथा कदम खार के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुल्लि संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपुल्लि संबंधित संस्था को कानूनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित कक्षास्थिति प्राप्त होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कक्षास्थिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्देश नवीनतम आदेश/विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐड्रेस/पता, पृष्ठ भूमि, स्टार, सल-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला भुक्त, छात्रावास भुक्त आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिषद हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक चीजों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था से परस्परित्त संघानित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिदेश, भूमि-अवकाश, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन से सम्बंध किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, परीक्षाकाल, उपकरण एवं अन्य सज्जा-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के माध्यम/तुल्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालन/संशोधन कार्यवाही की जायेगी।

(ए०आई०सी० टी०ई०पी०सी० आई०)

1875

1875-1876

1875-1876

1875

1875-1876

1875-1876

1875

**कार्यालय,**

**प्रविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- श्रमिषापरिषद सम्बद्धता/2021/2537

संबन्धक दिनांक- 09/08/2021

**कार्यालय जय:**

प्रविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा विधिक संव 2021-22 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु प्रविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, सेवा शुल्क वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए संव 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में विचार संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा संव 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसके अतिरिक्त सेवा शुल्क हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

बच्चा का कोड एवं नाम : 4455-BANARAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING, VILL-GAJOKHAR, PHOOLPUR, VARANASI				
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	सं.अनुमोदित विद्यार्थी	सं.सं.अनुमोदित विद्यार्थी	द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित सेवा शुल्क
1	CIVIL ENGINEERING	120	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180	180

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या संव.अनुमोदित विद्यार्थी/सं.सं.अनुमोदित विद्यार्थी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करने की।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद संव 1962 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करने की तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करीब इ.रु. पाठ्यक्रम हेतु संव 20150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु संव 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के

अतिरिक्त) हेतु 20-22500-00/- परिवर्तन शुल्क ही चरमक (मर्यादा) में चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यवाही में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर भासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले भासनदेश पत्रादि होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। किस निर्धारण समिति द्वारा यदि एच 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की तर्कव्युत्पन्न दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3090 पवित्रिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्गेंटिन प्रारंभ की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के रिजल्ट यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत भासनदेश के अनुसार निर्देशाण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 00आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0पी0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, पवित्रिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा पवित्रिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बलान होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की व्यवहार यदि पी.टी.आई. लई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असम्य रहती है तो इस संबंध में समस्त अलाटाईकट संस्था नव होगा और विभिन्न रूप से नियमों की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पवित्रिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, पवित्रिक शिक्षा निर्देशाण एवं पवित्रिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद सुवर किया जाता है तथा सुवर वाद के संबंध में सा. लघुशासन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बनानी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्षणक द्वारा परमेक वर्ष के लिए आसोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कर्डावियालिग प्रांथ होने के पूर्व पी0सी0आइ0पी0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्यापिडिविन के लक्षण से अथवा संस्था स्वयं न सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत लॉनलसम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की साकल सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को निराल्य-परिधान हेतु उपर्युक्त बालवार्ण उपलब्ध करने के साथ रेविंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशाण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-खत, फनीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में समेग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का परोन मिला उत्तरा नवर्ष के लिए नव रही है तो लक्षणक संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के लघुतीय निर्देशाण द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन, परीमाधान, उपकरण एत अन्य साज-सज्जा 00आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0पी0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

Students will be required to find out some real or virtual firm with the highest & lowest percentage of stock in their hands respectively.

Optimal portfolio

After

Post-assignment questions (10-15)

Time: 10-15

Notes

WUOLAH.COM BARBARA INSTITUTE OF POLYTECHNIC & ENGINEERING, VIL-  
KULCOHAL, PRODI PUN. KARANGAS



Optimal portfolio

After



